न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट डीग

प्र0सं0, 187 / 2017,(जी.सी.एम.एस. न. 2017 / 00544) पीठासीन अधिकारीः— डॉ. रवि कुमार गोयल (R.A.S)

उनवान

1. सतीशचन्द
2. राजेन्द्र प्रसाद } पुत्रगण मंगतूराम जाति वैश्य नि0 सेऊ वाली गली कस्बा डीग तह0 डीग

—वादीगण

बनाम

हरनाथकौर पत्नी भूप सिंह जाति जाटव नि0 गदालपुर तहसील डीग

—प्रति0

दावा हुक्म इम्तानाई दवामी, अन्तर्गत 188 राज0 टि0 एक्ट,

दिनांकः 18.06.2024

निर्णय

वादीगण द्वारा यह दावा इस आशय के साथ पेश किया है कि आ.ख.नम्बरान 560 / 1 / 0.07, 570 / 1 / 0.35, 578 / 1 / 0.65, वाके ग्राम किशनपुर तहसील डीग में स्थित है। आराजी खसरा नम्बर 560 / 1 / 0.07, 570 / 1 / 0.35 वादीगण के कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। जिस पर वादीगण शांतिपूर्वक काबिज रहकर निरन्तर काश्त करते चले आ रहे है।वादीगण के कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 560 / 1 / 0.07, 570 / 1 / 0.35 है जिसकी डौल मेंड बनी हुई है और प्रति0 का खसरा नम्बर 578 / 1 / 0.65 है जो वादीगण की खातेदारी की आराजी से मिला हुआ है वादीगण व प्रति0 की आराजी में मध्य डॉल मेड कायम है जो वजमाने बुजुर्गान से बनी हुई है जो आज भी पूर्व की भांति कायम है। अतः निवेदन है कि वादीगण की आराजी खसरा नम्बरान 560 / 1 / 0.07, 570 / 1 / 0.35, व प्रति0 की आराजी खसरा नम्बर 578 / 1 / 0.65 वाके ग्राम किशनपुर तहसील डीग के मध्य स्थित डॉल मेड को नहीं तोडें व डॉल मेड तोडकर वादीगण की आराजी पर नाजायज कब्जा न करें व मौके व रिकार्ड की यथा स्थिति बनाये रखने हेतु गैर सायल को पावंद किया जावे।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रति0 को जरिये सम्मन तलब किया गया। दिनांक 05.01.2018 को प्रति0 की ओर से अधिवक्ता श्री विक्रम सिंह उपस्थित। दिनांक 25.08.2022को प्रति0 का जबाव बन्द किया गया। दिनांक 28.03.2024 को साक्ष्य वादी में वादी संख्या 01 का शपथ पत्र पेश किया गया तथा दिनांक 22.04.2024 को वादी सतीशचन्द के बयान पंजीबद्व किये गये।

बहस के दौरान प्रति0 की ओर से कोई भी उपस्थित अदालत नहीं तथा वकील वादीगण की एक पक्षीय बहस सुनी गई। वकील वादीगण द्वारा दावे में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए कहा कि वादीगण की आराजी खसरा नम्बरान 560 / 1 / 0.07, 570 / 1 / 0.35, व प्रति0 की आराजी खसरा नम्बर 578 / 1 / 0.65 वाके ग्राम किशनपुर तहसील डीग के मध्य स्थित डॉल मेड को नहीं तोडें व डॉल मेड तोडकर वादीगण की

उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

Scanned with OKEN Scanner

आराजी पर नाजायज कब्जा न करें व मौके व रिकार्ड की यथा स्थिति बनाये रखने हेतु गैर सायल को पावंद फरमाया जावे।

पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड व सभी तथ्यों का गहनतापूर्वक अध्ययन किये जाने एवं वकील वादीगण की बहस पर मनन किया गया। वकील वादीगण ने अपने दावे हेतु सभी तथ्यों व रिकार्ड पर विवेचना पेश की गई। पत्रावली पर उपलब्ध/प्रस्तुत जमाबन्दी एवं राजस्व रिकार्ड के आधार पर हम वादीगण द्वारा प्रस्तुत दावा अन्तर्गत धारा 188 राज0 टि0 एक्ट, को वादीगण के हक में डिक्री किया जाना उचित समझते है।

अतः आदेश है कि :—

वादीगण का दावा उपलब्ध साक्ष्य से सावित होने पर स्वीकार किया जाता है। वादीगण की आराजी खसरा नम्बरान 560/1/0.07, 570/1/0.35, व प्रति0 की आराजी खसरा नम्बर 578/1/0.65 वाके ग्राम किशनपुर तहसील डीग के मध्य स्थित डॉल मेड को नहीं तोडें व डॉल मेड तोडकर वादीगण की आराजी पर नाजायज कब्जा नहीं करने व मौके व रिकार्ड की यथा स्थिति बनाये रखने हेतु गैर सायल को स्थाई निषेधाज्ञा से पावंद किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है।

(डॉ. रवि कुमार गोयल)
उपखण्ड अधिकारी,
डीग
उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

निर्णय आज दिनांक 18.06.2024 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(डॉ.रवि कुमार गोयल)
उपखण्ड अधिकारी,
डीग
उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

उपखण्ड अधिकारी
डीग (भरतपुर)

Scanned with OKEN Scanner